454

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्रमांक— निग - 3724 - I - 16

कन्हैयालाल राजपूत तनय लालदास राजपूत उम्र 58 वर्ष तत्कालीन हल्का पटवारी ग्राम मडोर तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

आवेदक / निगराकार

बनाम

शासन मध्यप्रदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकरी महोदय निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

अनोवदक / प्रतिनिगराकार

<u>प्रस्तुत निगरानी अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के विभागीय आदेश क्रमांक— 178 / री—4 / स्था. / 07 / 2005 आदेश दिनांक 10.07.2007 से व्यथित होकर समक्ष श्रीमान् के प्रस्तुत की जा रही है।</u>

महोदय,

आवेदक / निगराकार की ओर से विनय निम्न प्रकार है :—

1. यह कि वर्ष 2005 में पर्यटन, धार्मिक नगरी ओरछा में आयोजित श्रवण तीज मेले में आवेदक को व्यवस्था हेतु ड्यूटी पर तैनात किया गया था, जिसका ड्यूटी पर उपस्थित न होना बताकर आवेदक का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर 5 आरोप लगाये गये थे, जिसमें आरोप क्रमांक—1 की प्रमुखता के आधार पर आवेदक का निलंबन किया गया व शासकीय कार्य में अवहेलना इत्यादि के लापरवाही पर राजस्व अभिलेखों में हेरफेर का भी आरोप लगाया गया।

2. यह कि तदोपरांत आवेदक / निगराकार को रूपये 3500 / — रूपये पर अवनत किया गया, सिविल सेवा 1966 के नियम 10 उप नियम 5 के अनुसार मूल वेतन से हटकर 3500 / — रूपये पर नियत कर दिया, जब से आज तक आवेदक उक्त वेतन पर कार्य करता आ रहा है।

निगरानी के आधार

3. यह कि लगाये गये आरोप एक गंभीर प्रकति के थे, जबकि उनके संबंध में कोई भी ठोस

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3724-एक/2016 जिला टीकमगढ़ कन्हैयालाल विरूद्ध म प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 178/री-4/स्था./07/2005 में पारित आदेश दिनांक 10-07-2007 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 25/01/19
सदस्य